**GOVERNMENT OF INDIA / भारत सरकार**
**MINISTRY OF RAILWAYS / रेल मंत्रालय**
**RAILWAY BOARD / रेलवे बोर्ड**

RBE No. 64 /2013

No. PC-III/ 2012 / FE-II/2

New Delhi, dated 03-07-2013

**The General Managers and CAOs**
**All Indian Railways / PUs etc.**
(As per mailing list)

Sub: Merger of Sr.P.Way Supervisors with JE/P.Way.

-------

The issue of merger of Senior Permanent Way Supervisors (PB-2, Grade Pay Rs. 4200) with Junior Engineer (P.Way) had been raised in the PNM by both the Federations (AIRF/NFIR). Accordingly, with a view to strengthening and rationalizing the staffing pattern on Railways, the issue of enbloc merger of Sr.Permanent Way Supervisors (PB-2, Grade Pay Rs. 4200) with Junior Engineer/P.Way (PB-2, Grade Pay Rs. 4200) was under examination in Ministry of Railways. As a result of the review undertaken on the basis of functional, operational and administrative requirements, it has been decided that all the regular posts (excluding surplus, supernumerary, and ex-cadre posts) of Sr. Permanent Way Supervisors in PB-2, Grade Pay Rs. 4200 should enbloc be merged with the cadre of Junior Engineer (P.Way) with its spread effect in higher grade PB-2, Grade Pay Rs. 4600.

2. The entire exercise of merger of Sr. Permanent Way Supervisors with JE/P.Way with its spread effect to the post of SSE(P.Way) would be self-financing and expenditure neutral proposition. Additional financial implications should be worked out taking into account the revised basic pay including Grade Pay as per 6th CPC as listed in the fitment table, corresponding to the midpoint of the pre-revised pay scale (5th CPC) in respect of the each post, alongwith the applicable Dearness Allowance. After working out the financial implications, the matching savings should be effected from the category itself. Wherever it is not possible to do so from the category itself, the matching savings should be arranged from the department at the Divisional/ Zonal level. While effecting surrender of posts of equivalent financial value, the existing vacant posts available in the category on the cut-off date should be considered for the purpose of off-setting the cost of merger of Sr. Permanent Way Supervisors with JE/P.Way and its spread effect to the post of SSE(P.Way). There would be no merger of Sr. Permanent Way Supervisors with JE/P.Way with its spread effect to the post of SSE (P.Way) without matching savings by surrender of posts.

3. These orders are **effective from the date of issue of these orders.**

4. This issues in consultation with the Civil Engineering & Establishment Directorates and with concurrence of the Finance Directorate of this Ministry.

5. The receipt of this letter may please be acknowledged.

(Hari Krishan)
Director, Pay Commission-II
Railway Board

***NATIONAL FEDERATION OF INDIAN RAILWAYMEN (N.F.I.R.)***
***3, Chelmsford Road, New Delhi.***

***No.I/II/Pt.2*** ***Dated: 04/07/2013***

*Copy forwarded to the General Secretaries of Affiliated Unions of NFIR to convey hearty greetings to the Sr.P.Way Supervisors who have since been merged with J.E. (P.Way) pursuant to the discussions in the NFIR PNM under item No.28/2012 and in the DC/JCM item No.14/2007 and series of meetings at the level of CRB, FC & MS.*

*C/-Media Centre/NFIR.*
*C/- File No.28/2012 (PNM).*
*C/- File No.14/2007(DC).*

***(M.Raghavaiah)***
***General Secretary***

NFIR

भारत सरकार

रेल मंत्रालय(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 64 /2013

सं. पीसी-III/2012/एफई-II/2

नई दिल्ली, दिनांक: 3.07.2013

**महाप्रबंधक एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी,**
**सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां आदि।**
(डाक सूची के अनुसार)

विषय:- वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर।

-------

वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों (पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए) के जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) के साथ मर्जर के मुद्दे को दोनों फेडरेशनों (एआईआरएफ/एनएफआईआर) ने पीएनएम में उठाया था। तदनुसार रेलों पर स्टाफ व्यवस्था के पैटर्न को सुदृढ़ करने और उसे युक्तिसंगत बनाने की दृष्टि से रेल मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों (पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए) को सामूहिक रूप से जूनियर इंजीनियर/रेलपथ (पीबी-2 ग्रेड पे 4200 रुपए) के साथ मर्ज करने के मुद्दे की जांच की गई। कार्यात्मक, परिचालनिक तथा प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर की गई समीक्षा के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया कि पीबी-2, ग्रेड पे 4600 रुपए के उच्चतर ग्रेड में विस्तारित प्रभाव सहित पीबी-2, ग्रेड पे 4200 रुपए में वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षक के सभी नियमित पदों (सरप्लस, अतिरिक्त और संवर्ग वाह्य पदों को छोड़कर) को सामूहिक रूप से जूनियर इंजीनियर (रेलपथ) के संवर्ग में मर्ज कर दिया जाए।

2. एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए विस्तारित प्रभाव के साथ वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर का यह समूचा कार्य स्व-वित्तपोषित होगा और व्यय की स्थिति न्यूटरल रहेगी। अतिरिक्त वित्तीय प्रभावों का आकलन प्रत्येक पद के मामले में लागू महंगाई भत्ते सहित संशोधन पूर्व वेतनमान (5वे केन्द्रीय वेतन आयोग) के मध्य बिन्दु के अनुरूप फिटमेंट तालिका में दिए गए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार ग्रेड पे सहित संशोधित मूल वेतन को ध्यान में रखकर किया जाए। वित्तीय फलितार्थों का आकलन करने के बाद इस कोटि से ही मैचिंग सेविंग की जाए। जहां कहीं इस कोटि से ऐसा करना संभव न हो, वहां मैचिंग सेविंग की व्यवस्था मंडल/रेलवे स्तर पर विभाग से की जाए। समतुल्य वित्तीय मूल्य के पदों को सरेंडर करते समय वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर

............2/-

N.F.I.R

इंजीनियर/रेलपथ के साथ मर्जर तथा एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए इसके विस्तारित प्रभाव की लागत को संतुलित करने के प्रयोजन के लिए कट ऑफ तारीख को इस कोटि में उपलब्ध मौजूदा रिक्त पदों पर भी विचार किया जाए। पदों के सरेंडर द्वारा मैचिंग सेविंग किए बिना एसएसई (रेलपथ) के पद के लिए इसके विस्तारित प्रभाव के साथ वरिष्ठ रेलपथ पर्यवेक्षकों का जूनियर इंजीनियर/रेलपथ के साथ कोई मर्जर नहीं किया जाएगा।

3. ये आदेश, इन आदेशों को जारी करने की तारीख से प्रभावी होंगे।

4. इसे इस मंत्रालय के सिविल इंजीनियरिंग एवं स्थापना निदेशालयों के परामर्श से और वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

5. कृपया पत्र की पावती दें।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वित्त आयोग-II
रेलवे बोर्ड

सं. पीसी-III/2012/एफई-II/2 नई दिल्ली, दिनांक: 03.07.2013

प्रतिलिपि भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा (रेलें) को (40 प्रतियों सहित) अग्रेषित।

कृते वित्त आयुक्त, रेलें